अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय वर्ष के दौरान किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित करता है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन

2.1 परिचय

बिहार में 6,845 वर्ग कि0मी0 का अधिसूचित प्राकृतिक वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र (94,163 वर्ग कि0मी0) का 7.27 प्रतिशत है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (व0सं0अधि0) के अनुसरण में, बिहार सरकार ने छः[1] वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व[2] सहित) और पाँच[3] पक्षी अभयारण्यों (प0अ0), जो कुल मिलाकर 3,378.02 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में फैला हुआ है, को अधिसूचित किया ***(परिशिष्ट–2.1)***। इसके अतिरिक्त, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो भागलपुर जिला में सुल्तानगंज से कहलगाँव तक गंगा नदी के लगभग 60 कि0मी0 के विस्तार तक विस्तृत है, को भी बिहार सरकार द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित (अगस्त 1991) किया गया। 12 अभयारण्यों और एक राष्ट्रीय उद्यान अर्थात वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को नीचे मानचित्र में दर्शाया गया है:

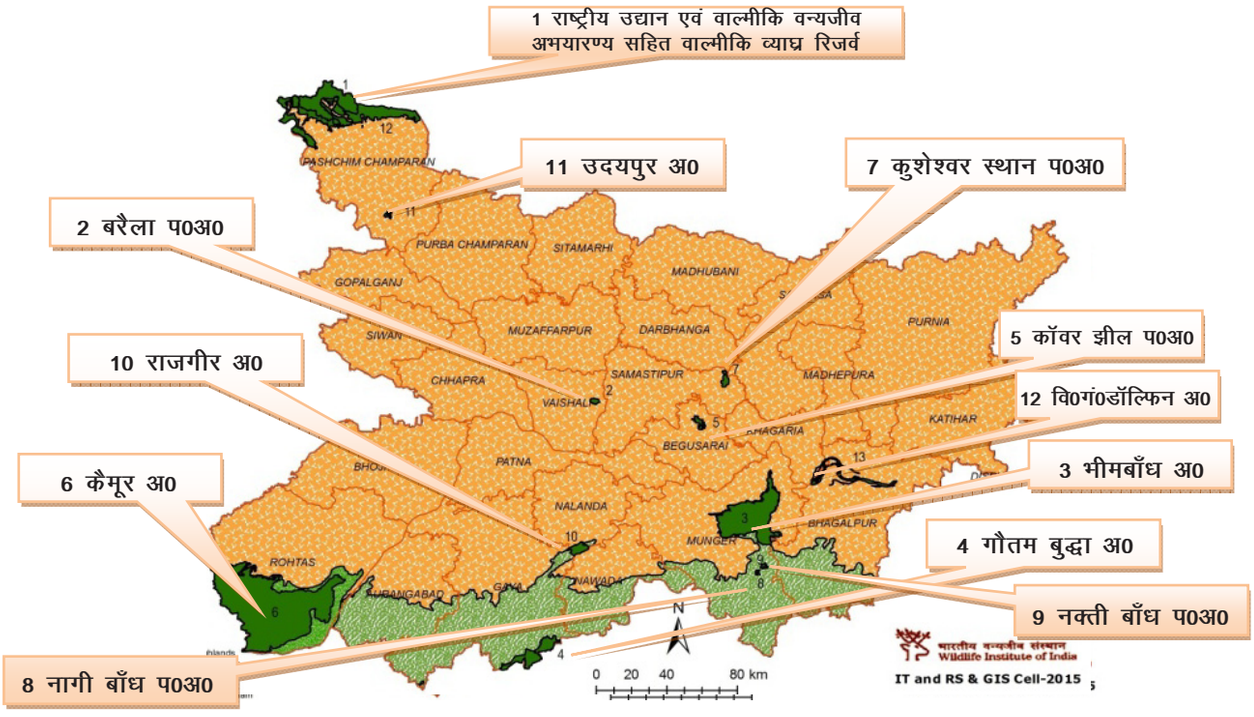

---

[1] *(i) भीमबाँध अभयारण्य, मुंगेर (ii) गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया (iii) कैमूर अभयारण्य, कैमूर एवं रोहतास (iv) राजगीर अभयारण्य, नालन्दा (v) उदयपुर अभयारण्य, बेतिया एवं (vi) वाल्मीकि अभयारण्य, बेतिया।*

[2] *वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व*

[3] *(i) बरैला झील सलीम अली प0अ0 (ii) कांवर झील प0अ0 (iii) कुशेश्वर स्थान प0अ0 (iv) नागी बाँध प0अ0, एवं (v) नक्ती बाँध प0अ0*

2.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार स्तर पर प्रधान सचिव के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन विभाग (विभाग) और विभागीय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र0व0पदा0), राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा, नीचे दिया गया है:

सारणी 2.1

राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा

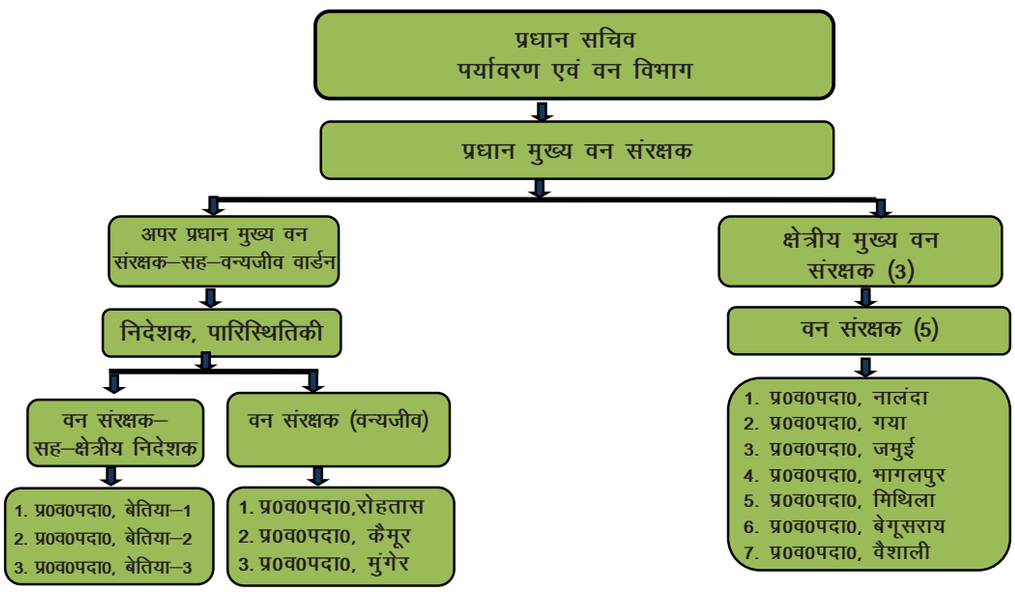

(स्रोतः पर्यावरण एवं वन विभाग)

13 वन प्रमंडलों में से छः प्रमंडल वन्यजीव अभयारण्यों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जो मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण में कार्यरत है। सात प्रमंडलें, जो मुख्यतया वानिकी कार्य से सम्बद्ध हैं, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण के अधीन है। यद्यपि, इन प्रमंडलों में वन्यजीव/अभयारण्यों से संबंधित मामले मुख्य वन्यजीव वार्डन के नियंत्रण के अधीन है।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य मानवबल की पर्याप्तता, वित्त की समय पर उपलब्धता और इसका कुशल उपयोग, नियोजन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, संरक्षण की प्रभावशीलता एवं सुरक्षात्मक उपायों, आंतरिक निरीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता आदि के आकलन का लक्ष्य था।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंडों के लिए स्रोत

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश, उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश, प्रबंधन योजनाएं, भारत के वन्यजीव संस्थान (भा0व0सं0), देहरादून के दिशा–निर्देश, बिहार वित्तीय नियमावली (बि0वि0नि0) और बिहार कोषागार संहिता इत्यादि लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत थे।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

यह निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2012–17 के दौरान अभिलेखों के नमूना–जाँच के माध्यम से वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलापों को, मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्यालयों तथा क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित वन संरक्षकों के कार्यालयों सहित 13 प्रमंडलों[4] को सम्मिलित करता है।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में दस्तावेज विश्लेषण, प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह और संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल थे।

अंतर्गमन सम्मेलन और बहिर्गमन सम्मेलन क्रमशः अप्रैल 2017 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और दिसम्बर 2017 में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यजीव वार्डन, बिहार के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागीय विचारों को प्रकाश में लाने के लिए आयोजित की गई थी। प्रतिवेदन में सरकार/विभाग के जवाब उचित रूप से शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6 मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग के मानवबल की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.1
मानवबल की स्थिति

क्र0 सं0	विवरण	स्वीकृत बल संख्या	कार्यरत बल	रिक्ति प्रतिशतता
1	भारतीय वन सेवा (आई0एफ0एस0)	74	49	34
2	बिहार वन सेवा (बी0एफ0एस0)	68	23	66
	कुल	**142**	**72**	**49**
3	वन रेंज पदाधिकारी (आर0ओ0एफ0)	134	88	34
4	वनपाल	531	227	57
5	वनरक्षक	2,017	230	89
	कुल	**2,682**	**545**	**80**
	कुल योग	**2,824**	**617**	**78**

(स्रोतः पर्यावरण एवं वन विभाग)

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि राज्य में भारतीय वन संवर्ग में 34 प्रतिशत रिक्तियों के बावजूद, सात अधिकारियों की तैनाती वानिकी कार्य से संबंधित नहीं थी चूंकि वे अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनियुक्ति पर थे। इसलिए उपलब्ध 49 भारतीय वन संवर्ग अधिकारियों के विरूद्ध केवल 42 विभाग के वानिकी और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न थे।

नमूना–जाँचित प्रमंडलों में अग्र पंक्ति के कर्मचारियों के पदों का 80 प्रतिशत रिक्त था।

तेरह वन्यजीव प्रमंडलों में सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत दस पदों को भरा नहीं गया था, यद्यपि वे वन्यजीव अभयारण्यों के सुरक्षा तथा क्षेत्र कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्य, जो उनके साथ निहित हो, के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे।

[4] *बेगूसराय, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व–I, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व–II, बेतिया, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, गया, मिथिला, जमुई, वैशाली और भागलपुर*

रेंज पदाधिकारी अपने क्षेत्र के कुशल प्रबंधन एवं वनपाल तथा वनरक्षक द्वारा निष्पादित सभी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। वनपाल अपने क्षेत्र में सभी कार्यों और वनरक्षक के सभी कर्त्तव्यों जैसे वन सीमाओं का रखरखाव, गश्त, वृक्षों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकना, विभाग के कार्यों इत्यादि का पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। प्रमंडलो के स्वीकृत बल के विरूद्ध अग्र पंक्ति के कर्मचारी (रेंज अधिकारी, वनपाल और वनरक्षक) अपर्याप्त थे जिन्हें **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2
मार्च 2017 तक संबंधित वन प्रमंडलों में अग्र पंक्ति के कर्मचारी

अभयारण्य	कर्मचारी की स्थिति	रेंज अधिकारी	वनपाल	वन संरक्षक	कुल
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	स्वीकृत–बल	9	39	167	215
	कार्यरत–बल	8	9	20	37
	रिक्ति (प्रतिशतता)	***11***	***77***	***88***	***83***
पाँच अन्य वन्यजीव अभयारण्य	स्वीकृत–बल	30	151	651	832
	कार्यरत–बल	17	41	93	151
	रिक्ति (प्रतिशतता)	***43***	***73***	***86***	***82***
पाँच पक्षी अभयारण्य	स्वीकृत–बल	15	58	235	308
	कार्यरत–बल	11	20	43	74
	रिक्ति (प्रतिशतता)	***27***	***66***	***82***	***76***
एक डॉल्फिन अभयारण्य	स्वीकृत–बल	2	4	10	16
	कार्यरत–बल	2	1	4	7
	रिक्ति (प्रतिशतता)	***0***	***75***	***60***	***56***
कुल	स्वीकृत–बल	56	252	1,063	1,371
	कार्यरत–बल	38	71	160	269
	रिक्ति (प्रतिशतता)	***32***	***72***	***85***	***80***

(स्रोतः वन प्रमंडले)

अत्याधुनिक स्तर पर कर्मियों की गंभीर कमी के कारण, मार्च 2017 तक वनरक्षकों का अधिकार क्षेत्र, जो आदर्श रूप से लगभग 5 वर्ग कि0मी0 होना चाहिए, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में बढ़कर 45 वर्ग कि0मी0 हो गया है। विभाग ने दैनिक मजदूरों को वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में खोजी के रूप में शिकार–रोधी दल, गश्त कार्यों इत्यादि में लगाया। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व की सुरक्षा कार्यों में स्थानीय ग्रामीणों को वन्यजीव प्रबंधन में बिना प्रशिक्षण के अनुबंध पर लगाया गया। वर्ष 2012–17 के दौरान वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में दैनिक मजदूरों की तैनाती 292 से लेकर 557 के बीच थी। अनुबंधित कर्मचारी अग्र पंक्ति के कर्मचारी का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है और इसने वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में सुरक्षा एवं सरंक्षण उपायों को गंभीरतापूर्वक प्रभावित किया जिसे वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन द्वारा भी बताया (अगस्त 2017) गया।

शेष 11 अभयारण्यों में, यह देखा गया कि अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए अग्र पंक्ति के कर्मचारियों का कोई समर्पित पद स्वीकृत नहीं किया गया था। इसलिए प्रमंडलों में अभयारण्यों का प्रबंधन तथा अन्य वानिकी कार्य उसी कार्य बल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे थे, जो प्रमंडलों के अन्य कार्यों को निष्पादित करते थे। वनपाल (213) तथा वनरक्षक (896) के स्वीकृत पदों के विरूद्ध क्रमशः 62 और 140 व्यक्ति संबंधित प्रमंडलों में कार्यरत थे (मार्च 2017)। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने यह भी अवलोकन[5] (मार्च 2016) किया कि बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई भी क्षेत्र कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं की थी।

[5] *राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11 मार्च 2016।*

वर्ष 2014 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर 2017 तक पूरी नहीं हुई थी और कर्मचारियों की कमी के कारण संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य प्रभावित हुआ।

कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप कक्ष इतिहास[6] का गैर–अनुरक्षण, जंगली जानवरों की संख्या का गैर–अनुमान, अपर्याप्त सर्वेक्षण और सीमांकन, पक्षी और डॉल्फिन अभयारण्य के संरक्षण में कमी, अपर्याप्त गश्त इत्यादि जैसे कार्यों में अभयारण्यों के संरक्षण और सुरक्षा उपायों में कमी को उत्तरगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, मानवबल में कमी ने अवैध शिकार, वृक्षों की अवैध कटाई इत्यादि के मामलों के अनुसंधान/प्रतिवेदित होने को प्रभावित किया।

विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2017) कि अग्र पंक्ति के कर्मचारियों की गंभीर कमी ने संरक्षण एवं सुरक्षा कार्यों को प्रभावित किया तथा सूचित किया कि रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2014 में कार्रवाई शुरू की गई। यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रिया को भर्ती एजेंसियों यानि, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण (दिसम्बर 2017) किया जाना था।

विभाग का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2012 से पहले अभयारण्यों में बड़ी संख्या में रिक्तियाँ मौजूद थी और विभाग ने पद को भरने के लिए देर से (2014) कदम उठाए थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि विभाग ने इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के साथ कोई मामला उठाया था। आगे, यह देखा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रक्रियागत विलम्ब और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई।

अनुशंसाएँ:

- ***विभाग/सरकार को भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारणों की समीक्षा और रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।***
- ***पर्याप्त मानवबल के अभाव में, विभाग/सरकार को वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों को बेहतर करने के लिए नई तकनीके यथा कैमरा ट्रैपिंग, सेटेलाईट चित्रण, जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 इत्यादि को अपनाने पर विचार करना चाहिए।***

2.7 वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा के लिए योजना

12 में से नौ वन्यजीव अभयारण्यों के लिए योजना तैयार नहीं की गई थी, हालांकि सरकार ने वर्ष 1976 से वर्ष 1997 के दौरान इन वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया था।

भारत सरकार के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 33 के संदर्भ में, राज्य का मुख्य वन्यजीव संरक्षक, अभयारण्यों के नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। आगे, संरक्षित क्षेत्रों[7] में वन्यजीव प्रबंधन की योजना बनाने की निर्देशिका अनुबंधित करता है कि प्रबंधन योजना के सभी प्रबंधन मुद्दों को यथार्थ रूप से सम्बोधित करना चाहिए और वस्तुनिष्ठता, गुणवत्ता एवं मानकों को बनाए रखना चाहिए। भारत सरकार द्वारा संरक्षण और सुरक्षा के लिए निधि जारी किया जाता है, जिसके संचालन का आधार वार्षिक योजना है, जो प्रबंधन योजनाओं के निष्पादन को ध्यान में रख कर किया गया है।

---

[6] *कक्ष इतिहास में वन पथ का विवरण, घास भूमि, खरपतवार की मौजूदगी, जीव अवलोकन, जल निकाय इत्यादि शामिल है।*

[7] *भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित*

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 12 अभयारण्यों में से केवल तीन (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्वः वर्ष 2013–23, कैमूरः वर्ष 2011–21 और भीमबांधः वर्ष 2015–25) के लिए प्रबंधन योजनाएँ तैयार किया गया था। यद्यपि, शेष नौ अभयारण्यों को वर्ष 1976 से वर्ष 1997 के बीच अधिसूचित किया गया, विभाग ने सिर्फ वर्ष 2014–15 में प्रबंधन योजनाओं (पाँच बाहरी एजेंसियों के माध्यम से और चार विभाग द्वारा) की तैयारी शुरू की। हालांकि, विभाग द्वारा प्रबंधन योजनाओं को अभी तक अंतिम रूप (मार्च 2017) दिया जाना बाकी था। प्रबंधन योजना की तैयारी में विलंब के लिए मुख्य तौर पर वनस्पति और जीव पर आवश्यक सूचनाओं का अभाव और अभयारण्यों का अपर्याप्त सीमांकन तथा सर्वेक्षण, जो प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए पूर्व आधार था और एजेंसियों के चयन में देरी जिम्मेदार है।

प्रबंधन योजना की अनुपस्थिति ने अभयारण्यों को केन्द्रीय सहायता से वंचित कर दिया तथा संरक्षण एवं सुरक्षा उपाय को प्रभावित किया।

प्रबंधन योजनाओं के अभाव में, राज्य केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा। नौ अभयारण्यों, जिसके पास प्रबंधन योजनाएँ नही थी, ने वर्ष 2012–17 के दौरान सिर्फ तीन प्रतिशत (₹5.54 करोड़) राशि प्राप्त किया जबकि कुल निधि का 97 प्रतिशत (₹187.64 करोड़) राशि प्रबंधन योजनाओं वाले तीन अभयारण्यों को प्रदान किया गया जिसे ***कंडिका–2.8.1*** में विचार किया गया है। इसने अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों को प्रभावित किया, जो उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने मानव बल की कमी और बाह्य एजेंसी (भारत का वन्यजीव संस्थान) के भाग में देरी को प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के लिए जिम्मेदार बताया।

बाह्य एजेंसी के हिस्से में देरी के संबंध में विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग भारत के वन्यजीव संस्थान के साथ अभयारण्यों के वनस्पतियों एवं जीवों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं कर सका। वन्यजीव संस्थान ने विभाग को भी सूचित (जून 2014) किया कि सूचनाओं के अभाव में प्रबंधन योजना की तैयारी में विलंब नहीं किया जाएगा। आगे, विभाग ने विभागीय स्तर से चार अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्णय (वर्ष 2014–15) लिया, यह जानते हुए कि मानवबल की कमी थी।

2.7.1 व्याघ्र संरक्षण योजना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यह अनुबंध करता है कि राज्य सरकार एक व्याघ्र संरक्षण योजना निर्मित करेंगे, जिसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। आगे, भारत के वन्यजीव संस्थान के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एक समयबद्ध ढांचे के अंदर योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य नीति और कार्यक्रम परिचालन एवं निधिकरण को प्रबंधन योजना में शामिल किया जाना हैं। बजट को वार्षिक करने की जरूरत है, जो सभी योजनाओं और प्रासंगिक वित्तीय निहितार्थ के तहत परिचालन लक्ष्यों को इंगित करता है।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के व्याघ्र संरक्षण योजना (वर्ष 2013–23) को योजना शुरू होने के लगभग 20 महीने बाद अनुमोदित (दिसम्बर 2014) किया गया था। आगे खतरे को कम करने के लिए वर्ष–वार योजना जिसकी आवश्यकता थी, को व्याघ्र संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया था।

वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 की अवधि में वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के व्याघ्र संरक्षण योजना की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने प्रथम व्याघ्र संरक्षण योजना को दिसम्बर 2014, अर्थात, योजना शुरू होने के लगभग 20 महीने बाद, अनुमोदित किया। आगे यह देखा गया कि यद्यपि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने व्याघ्र संरक्षण योजना की तैयारी के लिए दिशा–निर्देश (अक्टूबर 2012) जारी किया था, विभाग ने इसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को फरवरी 2014 अर्थात 15 महीने के अंतराल के बाद प्रस्तुत किया।

आगे की जाँच में पता चला कि व्याघ्र संरक्षण योजना में वर्ष–वार योजना/उद्देश्यों, आवश्यक निधि का वर्ष–वार निर्धारण, लुप्तप्राय और संरक्षित जानवरों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए रणनीतिक योजना तथा खतरों को कम करने के उपायों के बिना सिर्फ निष्पादन किए जाने वाले कार्यों का विवरण शामिल था। शुरू किए गए गतिविधियों के लिए वर्ष–वार योजना के अभाव में, अवैध शिकार के मामले, घास के मैदान का निर्माण/कायाकल्प, वृक्षों की अवैध कटाई, मानवजनित दबाव, वन एवं वन उत्पाद पर स्थानीय लोगों की निर्भरता इत्यादि को संबोधित (मार्च 2017) नहीं किया जा सका जो उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

विभाग ने अभयारण्यों के मूल एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंतिम चित्रण तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन में हुए विलंब को व्याघ्र संरक्षण योजना की तैयारी और अनुमोदन में हुई देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2017)। विभाग आश्वस्त था कि व्याघ्र संरक्षण योजना के अगले चरण से, वर्ष–वार योजना/उद्देश्यों को संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों के महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल किया जाएगा। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि बिहार सरकार ने पहले ही अगस्त 2012 में मूल और मध्यवर्ती क्षेत्रों का चित्रण किया था। विभाग ने व्याघ्र संरक्षण योजना को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के समक्ष सिर्फ फरवरी 2014 में प्रस्तुत किया था।

2.7.2 संचालन की वार्षिक योजना की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

प्रत्येक अभयारण्य का प्रबंधन योजना, एक संचालन की वार्षिक योजना के द्वारा वार्षिक रूप से निष्पादित किए जाते है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के समस्त कार्यक्रम समन्वित होने चाहिए तथा भारत सरकार के अनुमोदन के लिए अगले वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आगे, अन्य अभयारण्यों के संचालन के लिए एक वार्षिक योजना को अगले वर्ष के अंतिम मार्च तक भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012–17 के दौरान मुख्य वन संरक्षक–सह–क्षेत्रीय निदेशक ने वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के संचालन के लिए एक वार्षिक योजना को तीन से सात महीने की देरी से विभाग को प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप विभागों द्वारा भारत सरकार को इसे प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। इसी प्रकार, दो वन्यजीव अभयारण्यों (कैमूर और भीमबांध) के संचालन के लिए वार्षिक योजना, संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी द्वारा सर्वदा दो से तीन महीने के विलंब के साथ तैयार किए गए। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा संचालन के लिए वार्षिक योजना को अनुमति प्रदान करने में देरी हुई, इस तरह से अभयारण्यों को वित्तीय वर्ष के आरंभ के दो से सात माह के लिए वित्तीय सहायता से वंचित किया गया। परिणामस्वरूप, संरक्षण उपायों को इन महीनों के दौरान अभयारण्यों में कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने सूचित किया कि संचालन के लिए वार्षिक योजना को संबंधित प्रमंडलों से पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के बाद भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया और आश्वस्त किया कि संचालन के लिए वार्षिक योजना को अग्रिम रूप से भारत सरकार को भेजा जाएगा। विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार/राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार, पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण आने वाले वर्ष के संचालन के लिए वार्षिक योजना की तैयारी/प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक नहीं थे।

2.7.3 कक्ष इतिहास का अनुरक्षण

किसी भी नमूना–जाँचित अभयारण्यों में कक्ष इतिहास का संधारण नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता–2014 (भारत में वनों और जैव विविधता के सतत प्रबंधन के लिए) के अनुसार, कक्ष इतिहास, वन का अच्छी तरह से प्रलेखित एक विवरण है, जो प्रति वर्ष रेंज कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते है। कक्ष इतिहास[8], संरक्षण योजना और युक्तिपूर्ण प्रबंधन के लिए आवश्यक, में विस्तृत क्षेत्र सीमा रेखा[9], वन सड़कें, घास के मैदानों, अवनति के संचालक, जंगली घास की उपस्थिति, जीव अवलोकन, जल स्रोतों आदि का विवरण शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012–17 के दौरान किसी भी वन्यजीव अभयारण्यों में कक्ष इतिहास का संधारण नहीं किया गया था। कक्ष इतिहास के अभाव में, वार्षिक योजना जमीनी स्तर इनपुट पर आधारित नहीं था।

विभाग ने कक्ष इतिहास के गैर–रखरखाव के लिए वन रक्षकों के बहुत अधिक कमी को जिम्मेदार (दिसम्बर 2017) ठहराया।

अनुशंसा : विभाग को चाहिए :

- ***क्षेत्र इकाईयों से इनपुट के आधार पर, प्रत्येक अभयारण्य के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार करे।***
- ***संरक्षण योजना के लिए अभयारण्यों में कक्ष इतिहास के संधारण को सुनिश्चित करे।***

2.8 वित्तीय प्रबंधन

विभाग ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए संबंधित प्रमंडलों को केन्द्र सहायतित योजना, राज्य योजनाओं, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सी0ए0एम0पी0ए0) और वन आवास वन्य प्राणी संरक्षण कोष[10] के अधीन निधि प्रदान किया।

2.8.1 निधि की उपलब्धता और व्यय

वर्ष 2012–17 के दौरान, विभाग के लिए कुल बजट प्रावधान और व्यय क्रमशः ₹1,375.96 करोड़[11] और ₹1,362.02 करोड़[12] (99 प्रतिशत) था। वर्ष 2012–17 के दौरान, विभाग द्वारा ₹193.18 करोड़[13] की एक राशि संबंधित प्रमंडलों को 12 अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध करायी गई थी जिसके विरूद्ध ₹183.54 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2012–17 के दौरान अभयारण्य–वार निधियों का विस्तृत आवंटन और इसके विरूद्ध किये गये व्यय, ***परिशिष्ट–2.2*** में दिया गया है। अभयारण्यों को उपलब्ध कराए गए निधि और इसके विरूद्ध हुए व्यय का सारांश **तालिका 2.3** में इस प्रकार दर्शाया गया था।

---

[8] *संबंधित उप–क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।*

[9] *विभाग की परिसीमाएं सभी दिशाओं/सिराओं में बाउंड्री स्तंभो, लकीरे, पर्वत–स्कन्ध, प्रवाह इत्यादि विभाग क्षेत्र का सीमांकन करती है।*

[10] *राज्य के अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यान, वन और वन्यजीव के संरक्षण, सुरक्षा और उत्थान के लिए विभाग द्वारा बनाया गया एक संस्था।*

[11] *राजस्व शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2406): ₹1,276.18 करोड़ और पूंजीगंत शीर्ष: (मुख्य शीर्ष 4406): ₹99.78 करोड़।*

[12] *राजस्व शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2406): ₹1,262.79 करोड़ और पूंजीगंत शीर्ष: (मुख्य शीर्ष 4406): ₹99.23 करोड।*

[13] *राज्य योजना: ₹97.16 करोड़; राज्य गैर–योजना: ₹28.99 करोड़; कोश: ₹28.21 करोड़; सी0ए0एम0पी0ए0: ₹4.91 करोड़; टाईगर रिजर्व: ₹27.71 करोड़; वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास: ₹5.19 करोड़; गहन वन प्रबंधन: ₹0.87 करोड़ और 13वाँ वित्त: ₹0.14 करोड़।*

तालिका 2.3
वर्ष 2012–17 के दौरान अभयारण्यों के लिए विभाग द्वारा निधियों का आवंटन और प्रमंडलों द्वारा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

अभयारण्य	प्रबंधन योजना वाले तीन अभयारण्य				प्रबंधन योजना के बिना नौ अभयारण्य			
	वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	कैमूर	भीमबांध	कुल (2+3+4)	तीन वन्यजीव अभयारण्य	पाँच पक्षी अभयारण्य	एक डॉल्फिन अभयारण्य	कुल (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवंटन	91.13	59.33	37.18	**187.64**	3.60	1.51	0.43	**5.54**
व्यय	82.65	58.99	37.12	**178.76**	3.02	1.46	0.30	**4.78**

(स्रोत : नमूना–जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

वर्ष 2012–17 के दौरान विभाग ने तीन वन्यजीव अभयारण्यों को ₹187.64 करोड़ (97 प्रतिशत) का निधि प्रदान किया जबकि नौ वन्यजीव अभयारण्यों ने सिर्फ ₹5.54 करोड़ (तीन प्रतिशत) प्राप्त किया

प्रबंधन योजना के बिना तीन वन्यजीव अभयारण्यों को प्रदान किए गए ₹3.60 करोड़ में से, ₹62 लाख की एक नगण्य राशि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य को प्रदान की गई, इस तथ्य के बावजूद कि अभयारण्य में 138.34 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र शामिल था। आगे, वर्ष 2012–17 के दौरान पाँच पक्षी अभयारण्यों और एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य के प्रबंधन के लिए संबंधित प्रमंडलों में सिर्फ ₹1.94 करोड़[14] प्रदान किया गया। यह भी देखा गया कि कांवर झील के अलावा, जिसे वर्ष 2012–14 के दौरान सिर्फ ₹11 लाख प्राप्त हुए, वर्ष 2012–17 के दौरान राज्य योजना के अधीन पक्षी अभयारण्यों को निधियाँ प्रदान नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि संचालन की वार्षिक योजना की तैयारी भारत सरकार द्वारा सूचित संभावित आवंटन पर आधारित थी और अभयारण्यों की वास्तविक आवश्यकता पर नहीं। इसके परिणामस्वरूप निधियों की अपर्याप्तता हुई और इसने अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा कार्यों को प्रभावित किया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि तीन वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व, भीमबांध और कैमूर) को अन्य अभयारण्यों की तुलना में बड़े आकार और जैव–विविधताओं की समृद्धि के कारण निधि का बड़ा हिस्सा मिला। विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन सभी अभयारण्यों को बिहार सरकार ने इस आधार पर अधिसूचित किया था कि उनके पास पर्याप्त पारिस्थितिकीय, जीव एवं पुष्प महत्व था। अतः, तथ्य यह है कि प्रबंधन योजनाओं की तैयारी नहीं रहने के कारण नौ अभयारण्यों को निधि से वंचित रहना पड़ा।

2.8.2 वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में व्यय का आधिक्य

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का आधिक्य 28 से 55 प्रतिशत के बीच था।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के दो प्रमंडलों के वर्ष 2014–17 अवधि के दौरान मासिक लेखा और बजट नियंत्रण पंजी की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों यथा अप्रैल और मई, के दौरान कोई योजना व्यय नहीं था। वर्ष 2016–17 में, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रमंडल–2 ने सरंक्षण एवं सुरक्षा कार्यों, यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष के चौथे माह (जुलाई) तक कोई व्यय नहीं किया। बिहार बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत, प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में व्यय 28 से 55 प्रतिशत के बीच था, जो अन्य महीना की तुलना में ज्यादा था। वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रमंडलों में देरी से निधि जारी करने के लिए, विभाग जिम्मेदार था।

[14] *सी0ए0एम0पी0ए0 – ₹0.19 करोड़, कोश– ₹1.61 करोड़, राज्य योजना– ₹0.13 करोड़ और 13वाँ वित्त आयोग– ₹0.01 करोड़।*

लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत होने पर, विभाग ने आश्वस्त किया (दिसम्बर 2017) कि भविष्य में प्रमंडलों को समय पर निधि जारी करने का प्रयास किया जाएगा।

2.8.3 वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में अप्रयुक्त निधि

राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा व्याघ्रों और जैव–विविधताओं, साथ ही पारिस्थितिक विकास के संरक्षण के प्रबंधन को सुगम तथा समर्थन के लिए वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत आवश्यक था, को स्थापित किया (दिसम्बर 2010)। संस्थान को पर्यटकों से प्रवेश शुल्क संग्रहण तथा राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से निधियों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान, पर्यटको से संग्रहित ₹0.45 करोड़ के प्रवेश शुल्क (मार्च 2017 तक) के अतिरिक्त किसी भी स्रोत से निधियों की व्यवस्था नहीं कर सका। अप्रैल 2017 तक संस्थान के बैंक खाते में जमा राशि अव्ययित थी क्योंकि संचालक मंडल के बैठक जो पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में साल में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थी, एक बार भी आयोजित नहीं की गई। इस प्रकार, संस्थान के स्थापना का उद्देश्य निरर्थक रहा।

विभाग ने आश्वस्त किया (दिसम्बर 2017) कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसाः सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को समय पर पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना चाहिए। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व संस्थान के निधि का अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग और संचालक मंडल की वर्णित बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.9 वन्यजीव अभयारण्यों का संरक्षण

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, वन्यजीव और इनके आवास की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपाय किए जाने चाहिए। संरक्षण में घास के मैदानों के विकास द्वारा वन्यजीव एवं इनके आवास को सुरक्षित करना, खरपतवार निवारण, जल संरक्षण इत्यादि शामिल हैं। वन्यजीव एवं इसके आवास से संबंधित मामलों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

2.9.1 व्याघ्रों का अनुमान

प्रमुख स्तनधारियों के अस्तित्व का आकलन करने के लिए वन्यजीव अभयारण्यों द्वारा आबादी का आकलन प्रति वर्ष किए जाते हैं। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में व्याघ्रों की अनुमानित संख्या वर्ष 2012–13 के दौरान 22 और वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 28 थी।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में व्याघ्र

वर्ष 2015–16 में व्याघ्रों की संख्या का आकलन नहीं किया गया था, यद्यपि वर्ष 2016–17 के लिए व्याघ्रों की आबादी प्रतिवेदन, विश्व वन्यजीव कोष–भारत (मई 2017) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना था।

विभाग ने वर्ष 2015–16 के दौरान व्याघ्रों की आबादी के गैर–आकलन के लिए क्षेत्र कर्मियों की कमी को जिम्मेदार बताया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कार्य राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार, विभाग में क्षेत्र कर्मियों की कमी के बावजूद, कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

वर्ष 2013 में विश्व वन्यजीव महासंघ–भारत के प्रतिवेदन के अनुसार, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के आठ श्रेणियों में से दो[15] में मानवजनित दबाव[16] के कारण चूंकि इस श्रेणियों के क्षेत्रों में राजस्व गाँव मौजूद थे, वर्ष 2013 में कोई व्याघ्र नहीं मिला। अभिलेख ऐसा कुछ नहीं दिखाता है कि विभाग ने मई 2017 तक प्रभावित क्षेत्र में मानवजनित दबाव को कम करने के लिए गाँवों के स्थानांतरण के लिए कोई योजना तैयार की थी।

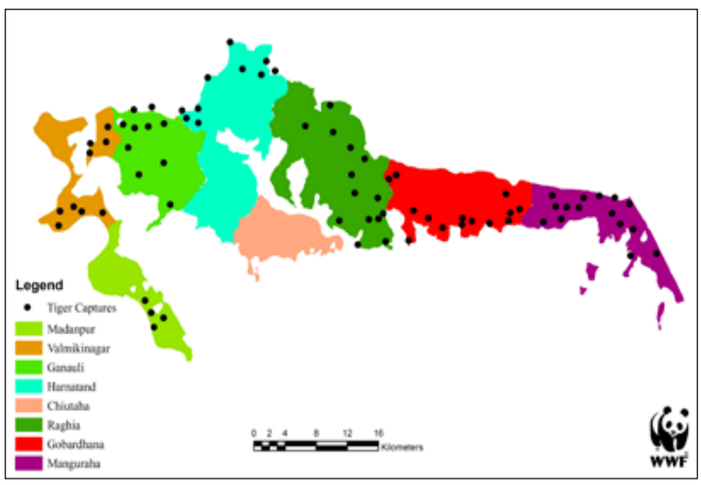

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति जताया और कहा कि दो श्रेणियों में, मुख्य रूप से भू–भागीय परिस्थिति और मानवजनित दबाव के कारण आवास की गैर–उपयुक्तता के कारण व्याघ्र मौजूद नहीं थे। आगे कहा गया कि गाँवों के स्थानांतरण के लिए योजना तैयार नहीं की गई थी क्योंकि इसे अध्ययन और अनुसंधान कार्य की आवश्यकता थी।

अनुशंसाः विभाग को मानवजनित दबाव को कम करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र के आस–पास के गाँवों के स्थानांतरण के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए।

2.9.2 वन्यजीवों का आकलन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के प्रबंधन को प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के आबादी का आकलन/गिनती करने की आवश्यकता थी। हालांकि भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, शिकार आबादी का आकलन प्रत्येक तीन से पाँच वर्षों के अंतराल पर वन्यजीव अभयारण्यों में किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि वन्यजीव के आबादी का गणना/आकलन वर्ष 2012–17 के दौरान किसी भी अभयारण्यों में पूरा नहीं किया गया था। विभागीय अभिलेखों के अनुसार, छः वन्यजीव अभयारण्यों में पिछले वर्षों के दौरान आकलित वन्यजीवों की संख्या को **तालिका 2.4** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

---

[15] *चिउटहा और हरना भूमि का दक्षिणी भाग*

[16] *मनवजनित दबावः मानव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव भौतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जैव–विविधता तथा प्राकृतिक संसाधन में बदलाव*

तालिका 2.4
वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव की उपस्थिति

वन्यजीव अभयारण्य	नवीनतम आकलन (वर्ष)	वृहद स्तनधारियों की उपस्थिति (संख्या)
भीमबांध	प्रबंधन योजना (2014)	तेंदुए$, हायना*, स्लॉथ भालू^, चार हॉर्न एंटीलोप*, सांबर, गंगा नदी डॉल्फिन** आदि
गौतम बुद्ध	कार्य योजना (2013–14)	हायना*, भेड़िया*, जंगली सुअर, सांबर, स्पॉटेड हिरण आदि
कैमूर	प्रबंधन योजना (2010)	तेंदुए$(56), सांबर(132), चीतल(661), चार हॉर्न एंटेलोप* (18), जंगली सुअर(3,043), पोर्क्यूपिन(345), स्लॉथ भालू^ (713) इत्यादि।
राजगीर	प्रबंधन योजना (2003)	जंगली सुअर(102), ब्लैक नेप्ड खरगोश (122), वानर समूह (147), जंगली बिल्ली* (12), सुनहारा सियार (26) इत्यादि।
उदयपुर	प्रबंधन योजना (2016–17)	स्पॉटेड हिरण, बार्किंग हिरण, नीलगाय, साही इत्यादि।
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	व्याघ्र संरक्षण योजना (2012)	चीतल(13,632), सांबर(1,686), जंगली सुअर(9,091), अरना भैंसा (168), बार्किंग हिरण(1,667), हॉग हिरण* (49), स्लॉथ भालू^ (306) इत्यादि।

**चेतावनी के करीब # चेतावनी $ विलुप्त **खतरे में ^चपेट में*

(स्रोतः नमूना–जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

वर्ष 2012–17 के दौरान पाँच पक्षी अभयारण्यों और छः वन्यजीव अभयारण्यों में से किसी एक में भी वन्यजीव का आकलन नहीं किया गया

चूंकि शिकारी जानवरों का संरक्षण भी प्रत्यक्ष रूप से शिकार के संरक्षण पर निर्भर करता है, व्याघ्र संरक्षण के पर्याप्त एवं प्रभावी उपाय विभिन्न जंगली जानवरों की संख्या के संबंध में डाटा के अभाव में संभव नहीं होंगे। एक स्वस्थ और सतत पारिस्थितिक तंत्र के लिए, खाद्य पिरामिड के प्रत्येक स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसा नहीं होने पर संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य पिरामिड अस्त–व्यस्त हो जाते हैं।

वन्यजीव आबादी के गैर–आकलन से संकेत मिला कि विभाग वन्यजीव अभयारण्यों में भोजन और चारा की आवश्यकताओं का आकलन नहीं कर सका।

विभाग ने मानवबल की कमी को जंगली जानवरों के गैर–आकलन के लिए जिम्मेदार बताया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के बड़े स्तनधारियों का आकलन वर्ष 2012 में क्षेत्र कर्मियों की कमी के बावजूद किया गया था।

अनुशंसाः

- ***इस तरह की रिक्तियों को प्राथमिकता पर भरे जाने तक, विभाग को अभयारण्यों में वन्यजीव आकलन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए।***
- ***अभयारण्यों में वन्यजीव के आकलन के लिए विभाग को ड्रोन, कैमरा ट्रैप आदि जैसी तकनीक को अपनाने पर विचार करना चाहिए।***

2.9.3 भोजन/चारा के लिए प्रावधान

अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार, आवश्यकतानुसार घास के मैदानों को नियमित आधार पर भरा जाना था, क्योंकि जानवर परिपक्व घास नहीं खाते। क्षेत्रीय निदेशक वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व और संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी अभयारण्यों में घास के मैदानों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में घास के मैदानों की सीमा वर्ष 2004 से वर्ष 2012 के दौरान लगभग 44 वर्ग कि0मी0 (कुल क्षेत्र का पाँच प्रतिशत) में अपरिवर्तित रही। यद्यपि वर्ष 2012–17 के दौरान वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में 17.55 वर्ग कि0मी0 घास के मैदानों का निर्माण किया गया था, जंगली जानवरों का अनुमान नहीं होने के कारण, आवश्यकता का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया था।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मंगुराहा रेंज में घास के मैदानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि घास परिपक्व हो गया था और शाकाहारी जानवरों के खाने के लिए उपयुक्त नहीं था।

परिपक्व घासस्थल शाकाहारी जानवरों के खाने के लिए अनुपयुक्त

चार[17] वन्यजीव अभयारण्यों में यह देखा गया कि वर्ष 2012–17 के दौरान 400 हेक्टेयर घास के मैदानों का निर्माण, बिना किसी आकलन और शाकाहारी जानवरों के साथ मांसाहारी जानवरों के संभावित स्थानों की पहचान के बिना किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति (दिसम्बर 2017) व्यक्त की और कहा कि नये घास के स्थल निर्माण से पहले आकलन जरूरी था और आश्वासन दिया कि इस पर ध्यान दिया जाएगा।

अनुशंसाः विभाग को नियमित रूप से आवश्यकता आधारित घास के स्थलों का विस्तार और रखरखाव करना चाहिए।

2.9.4 मानवजनित दबाव

- ***स्थानीय ग्रामीणों के कारण मानवजनित दबाव***

तीन वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में और आस–पास के गाँवों की उपस्थिति के कारण भारी मानवजनित दबाव था।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में, हालांकि मुख्य क्षेत्र में कोई गांव स्थित नहीं था, 136 गांव मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित था। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 26 राजस्व गाँव 82 वर्ग कि0मी0 में फैले हुए थे, जिनकी जनसंख्या 24,538 थी, जो रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से घिरा हुआ था। परिणामस्वरूप स्थानीय आबादी वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के पारंपरिक मार्गों का उपयोग करते हैं। आरक्षित क्षेत्र के भीतर पाँच[18] तीर्थयात्री मंदिर मौजूद थे और इन क्षेत्रों में हर वर्ष मेले आयोजित किए जाते थे।

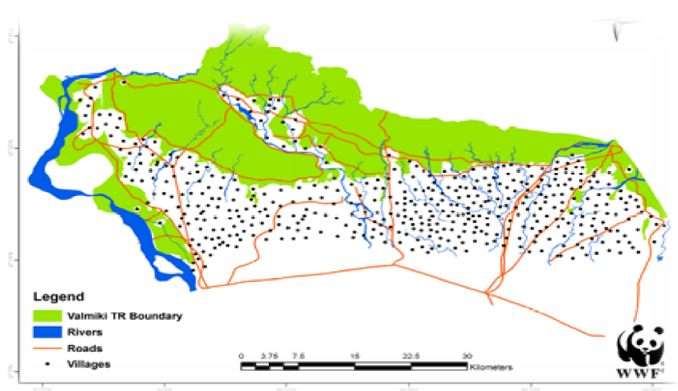

इसी तरह, दो वन्यजीव अभयारण्य में 92 गाँव[19] मुख्य क्षेत्रों और 259 गाँव[20] मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित थे। लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चला कि लाभार्थी सर्वेक्षण में शामिल 130 ग्रामीणों

[17] *भीमबांधः 100 हे0, गौतम बुद्धः 70 हे0, कैमूरः 220 हे0 तथा राजगीरः 10 हे0*

[18] *त्रिवेणीघाट (जटाशंकर), नरदेवी, मदनपुर देवीस्थान, सोमेश्वर और सोफा मंदिर।*

[19] *कैमूरः 85 गाँव (650.64 वर्ग कि0मी0) तथा भीमबांधः 7 गाँव (183.87 वर्ग कि0मी0)*

[20] *कैमूरः 138 तथा भीमबांधः 121*

में से 94 ग्रामीण (72 प्रतिशत) जलाने योग्य लकड़ी और अन्य वन्य उत्पादन पर निर्भर थे।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से ईंधन की लकड़ी और वन उत्पादन संग्रह

गाँवों की उपस्थिति ने वन्यजीव पर भारी मानवजनित दबाव और ग्रामीणों को पुनर्स्थापित करने में मुख्य वन्यजीव वार्डन की विफलता का संकेत दिया।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2017) के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मामले में, हालांकि गाँवों के पुनर्स्थापन के लिए कार्य सूची व्याघ्र संरक्षण योजना (वर्ष 2013–23) में शामिल है, फिर भी गाँवों के पुनर्स्थापन की योजना अभी तैयार नहीं की गई है। इसे आगे स्वीकार किया गया कि गाँवों के पुनर्स्थापन के लिए व्यवहार्यता का आकलन कैमूर और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में नहीं किया गया था।

- ***बुनियादी ढांचे के विकास के कारण मानवजनित दबाव***

यह देखा गया कि बगहा–छतौनी रेल लाइनों और वन्यजीवों के गतिविधि में बाधाओं के कारण वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में मानवजनित दबाव था। रेलवे लाइन के आसपास वन्यजीव के सुरक्षित गतिविधि को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण 63[21] व्याघ्र, गैण्डा, मगरमच्छ आदि जंगली जानवरों की मौत (अगस्त 2006 से मार्च 2017) और 24 जानवरों की मौत अकेले वर्ष 2012–17 के दौरान हुई। आगे, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ट्रेन की गति (दिन के दौरान 40 कि0मी0/घंटा और रात के दौरान 25 कि0मी0/घंटा) सीमित करने के लिए एवं रेलवे लाईन से पाँच मीटर की दूरी तक सफाई करने के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश (दिसम्बर 2015) का पालन नहीं किया गया था। रेलवे ने स्पष्ट रूप से (सितम्बर 2015) वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से गुजरने वाली ट्रेनों की गति को कम करने में असमर्थता व्यक्त की थी और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई (मार्च 2017)।

अगस्त 2006 से मार्च 2017 के दौरान वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन पर 63 जंगली जानवर जिसमें व्याघ्र, गैंडा, मगरमच्छ आदि शामिल थे, मारे गये थे।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन

शेष पाँच वन्यजीव अभयारण्यों में से चार[22] में यह देखा गया कि या तो राष्ट्रीय राजमार्ग या गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें यहाँ से गुजरती/विभाजित कर रही थी। वर्ष 2012–17 के दौरान कैमूर में पाँच जानवर और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में एक जानवर सड़क

[21] *चीतलः 11; मगरमच्छः 3; हिरणः 2; फिशिंग बिल्लीः 2; सियारः 1; बंदरः 3; नीलगायः 31; सुअरः 1; पाईथॉनः 6; गैंडाः 2; व्याघ्रः 1*

[22] *भीमबांध, मुंगेर; गौतम बुद्ध, गया; कैमूर, भभुआ तथा राजगीर, नालंदा*

दुर्घटनाओं में मारे गए थे। तथापि, विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, अभिलेखों में नहीं देखा गया।

अनुशंसाः विभाग को भारत सरकार और बिहार सरकार की मदद से गाँवों को पुनर्स्थापित करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए और जंगली जानवरों के सड़क/रेल दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कम से कम गति सीमा बनाए रखना चाहिए।

2.9.5 अग्नि रेखा प्रबंधन

व्याघ्र संरक्षण योजना के अनुसार, आग लगने के लिए प्रतिरक्षात्मक उपाय के रूप में हर साल अग्नि रेखा[23] का निर्माण/रखरखाव पूरा किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवश्यक 1,139 कि0मी0 की लम्बाई के साथ 130 अग्नि रेखाओं के लिए वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में अग्नि रेखाओं का निर्माण/रखरखाव वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 के दौरान अपर्याप्त था, जैसा कि नीचे **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वर्ष–वार अग्नि रेखाओं की उपलब्धता और अग्नि घटनाओं का विवरण

वर्ष	अग्नि रेखाओं की उपलब्धता		अग्नि घटनाओं की संख्या
	संख्या	लम्बाई (कि0मी0 में)	
2012-13	44	330	351
2013-14	44	330	270
2014-15	53	326	374
2015-16	64	407	251
2016-17	66	455	705

(स्रोतः मुख्य वन संरक्षक–सह–क्षेत्रीय निदेशक का अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2012–17 के दौरान आरक्षित क्षेत्र का 28.86 वर्ग कि0मी0 जमीन आग की घटनाओं के कारण प्रभावित हुआ। वन्यजीव और वनस्पति का कोई नुकसान प्रतिवेदित नहीं हुआ। मुख्य संरक्षक–सह–क्षेत्रीय निदेशक ने अग्नि रेखाओं की कमी तथा आग लगने के कारण के लिए धन की कमी और रिजर्व क्षेत्र में गाँवों की निकटता को जिम्मेदार ठहराया (अगस्त 2017)। चूंकि आग की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, इसलिए भविष्य में वन्यजीव और वनस्पति की नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

2.9.6 सर्वेक्षण/सीमांकन और सीमा स्तंभ का निर्माण

भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा–निर्देश, अभयारण्यों के सीमाओं की सीमा और सीमा स्तंभों के निर्माण को निर्धारित करते हैं। सीमा रेखा को स्पष्ट रखने और अभयारण्य क्षेत्र के सीमा स्तंभों को बनाए रखने के लिए उप–क्षेत्र का वनरक्षक जिम्मेदार है।

छः वन्यजीव अभयारण्यों में से गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में सर्वेक्षण और सीमांकन कार्य नहीं किए गए थे। 15,176[24] सीमा स्तंभों की आवश्यकता के विरूद्ध दो[25] वन्यजीव अभयारण्यों में मार्च 2017 तक केवल 6,476[26] (43 प्रतिशत) स्तंभ लगाए गए थे क्योंकि विभाग ने इसके लिए धन उपलब्ध नहीं कराया था। इसके अलावा यह देखा गया कि पाँच वन्यजीव अभयारण्य में कुल 638.14[27] हेक्टेयर अधिसूचित भूमि (मार्च 2017) अतिक्रमित थे।

---

[23] *वनस्पतियों या अन्य ज्वलनशील पदार्थ में एक अंतराल जो दावानल या जंगल के आग के गति को कम या खत्म करने में एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है।*

[24] *कैमूरः 10,176 तथा भीमबांधः 5,000*

[25] *कैमूर तथा भीमबांध, मुंगेर वन्यजीव अभयारण्य*

[26] *कैमूरः 5,235 तथा भीमबांधः 1,241*

[27] *भीमबांधः 5.88 हे0; गौतम बुद्धः 7.18 हे0; कैमूरः 590.79 हे0; राजगीरः 0.45 हे0 तथा वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्वः 33.84 हे0।*

विभाग लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत (दिसम्बर 2017) था और क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी को अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा अभयारण्य भूमि के सीमांकन नहीं होने के लिए जिम्मेदार बतलाया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारियों के द्वारा पूरा किया जा सकता था।

अनुशंसाः विभाग को अभयारण्य के सर्वेक्षण और सीमांकन को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

2.9.7 वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने वाली विधुत रेखाएँ

वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के दिशा–निर्देशों (अक्टूबर 2011) के अनुसार प्राकृतिक क्षेत्रों में निचले बिजली लाइनों की अनुमति नहीं है और मौजूदा सड़क संरेखण के साथ भूमिगत बिजली के केबलों का ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए था।

दो[28] वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया था कि बिजली लाइन अभयारण्य क्षेत्र से गुजर रही थी। वन अधिकारियों ने कहा कि पास के गाँव को जोड़ने वाली ये पावर लाइन कई वर्षों से अस्तित्व में है।

विभाग ने कहा कि मौजूदा निचले बिजली के लाइनों को भूमिगत केबल के साथ बदलने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। आगे यह कहा गया कि अब अभयारण्यों में केवल कवर किए गए बिजली के केबलों की अनुमति दी गई थी।

अनुशंसाः वन्यजीव मानदंडों के अनुसार मौजूदा बिजली लाइनों को बदलने के लिए विभाग को कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2.10 वन्यजीव अभयारण्य की सुरक्षा

संरक्षण और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए प्रमुख घटकों में गश्त या शिकार–रोधी शिविर/चौकी, वायरलेस नेटवर्क और अन्य सुरक्षा उपकरण इत्यादि शामिल हैं। नमूना–जाँचित प्रमंडलों के अंतर्गत वन्यजीव तथा इसके आवास के संरक्षण के लिए सुरक्षा एवं बचाव के उपायों में पाई गई कमी का अगले कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

- ***गश्त/शिकार–रोधी शिविर***

शिकार के मामलों को कम करने के लिए शिकार–रोधी शिविर स्थापित किया जाना है तथा वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मुख्य संरक्षक–सह–वन निदेशक द्वारा निगरानी की जानी है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार लगभग 25–35 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र के लिए एक शिविर स्थापित किया जाना है। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में शिकार–रोधी शिविरों की स्थापना के साथ–साथ शिकार के मामलों की स्थिति **तालिका 2.6** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.6
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वर्ष 2012–17 के दौरान शिकार–रोधी शिविर और शिकार के मामले

वर्ष	*उपलब्ध शिकार–रोधी शिविर की संख्या*	*शिकार मामलों की संख्या*
2012-13	7	13
2013-14	23	3
2014-15	29	6
2015-16	33	12[29]
2016-17	43	28

स्रोत : वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के अभिलेख

[28] *गौतम बुद्ध तथा राजगीर*
[29] *चार व्याघ्रों सहित*

अनियत/संविदात्मक कर्मचारी, जो वन्यजीव सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, को वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के शिकार–रोधी शिविर में तैनात किया गया।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन ने लगभग 900 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वर्ष 2012–17 के दौरान शिकार–रोधी शिविरों की संख्या में सात से 43 की वृद्वि की थी, जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण अधिनियम के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त थी । यद्यपि, जानवरों यथा बाघ, चीतल, जंगली सांड़ इत्यादि के अवैध शिकार के संख्या में वृद्वि हुई।

यह भी देखा गया था कि आवश्यक पाँच प्रशिक्षित कर्मियों के नियोजन के विरूद्व, केवल चार से पाँच दैनिक/संविदात्मक कर्मचारी, जो वन्यजीव संरक्षण में प्रशिक्षित नहीं थे, को तैनात किया गया। हालांकि शिकार–रोधी शिविर की स्थापना का मानदंड पूरा किया गया, लेकिन शिकार के मामलों में वृद्धि हुई, पिछले वर्षों में शिकार के अप्रतिवेदित मामलों, शिकार–रोधी शिविर के अनियोजित/अनुपयुक्त स्थान तथा अप्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती का संकेत मिलता है। आगे, विशेष व्याघ्र संरक्षण बल, जैसा कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण अधिनियम के निर्देशों के तहत आवश्यक है, को न तो सृजित किया गया और न ही तैनात किया गया था।

पाँच शिकार–रोधी शिविर[30] के संयुक्त भौतिक सत्यापन में उद्घटित हुआ कि वहाँ पेयजल की सुविधाओं की कमी थी, शौचालय उपयोग में नहीं थे और वहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। दो[31] शिकार–रोधी शिविर रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि छत से रिसाव था।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में शिकार–रोधी शिविर

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन ने अनुश्रवण प्रतिवेदनों को संधारित नहीं किया था, इस प्रकार के प्रतिवेदनों के अभाव में, लेखापरीक्षा आकलन नहीं कर सका कि क्या शिकार–रोधी शिविर के निगरानी का कार्य किया गया। शिकार–रोधी शिविरों के इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में निधि के अभाव के साथ ही विभाग के उच्चतर अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण जिम्मेदार था।

जवाब में, विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि शिकार–रोधी शिविरों के भौतिक मूल संरचना में सुधार किया जाएगा। हालांकि, पर्याप्त संख्या में शिकार–रोधी शिविरों के बावजूद, शिकार के मामलों में वृद्धि के कारणों को विभाग ने नहीं बतलाया।

चार वन्यजीव अभयारण्यों में, भीमबांध को छोड़कर, कोई गश्त/शिकार–रोधी शिविर स्थापित नहीं किया गया था, यद्यपि इन वन्यजीव अभयारण्यों द्वारा 1,699 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र शामिल किया गया था। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में, वर्ष 2015–17 की अवधि के दौरान, 10 की आवश्यकता के विरूद्ध केवल चार शिकार–रोधी शिविर क्रियाशील थे। गश्त/शिकार–रोधी शिविरों के अभाव में, वन्य प्राणियों के अवैघ शिकार और वृक्षों की अवैध कटाई के गैर/कम प्रतिवेदित होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था।

---

[30] *वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में गुलारबाना, लक्षमिनियां, बालबल, सोफा तथा जमहौली*

[31] *बालबल और सोफा*

जवाब में, विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि क्षेत्र कर्मियों की गंभीर कमी के कारण, शिकार–रोधी शिविरों को पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं किया जा सका। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षित संविदात्मक कर्मियों को न्यूनतम संभव सुरक्षा और प्रतिरोध को सुनिश्चित करने के लिए गश्त/शिकार–रोधी कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता था।

- ***सतर्कता और सुरक्षा उपाय***

अभयारण्यों के व्याघ्र संरक्षण योजना और प्रबंधन योजनाओं के अनुसार, वन कर्मियों को अभयारण्य का प्रबंधन एवं संरक्षण तथा सतर्कता एवं सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0), वायरलेस सिस्टम, कैमरा ट्रैप, दूरबीन, रात्रि दृष्टि उपकरण इत्यादि को रखने की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि छः वन्यजीव अभयारण्यों में से उक्त उपकरण दो[32] वन्यजीव अभयारण्यों में बिल्कुल नहीं था। शेष चार वन्यजीव अभयारण्यों में, मार्च 2017 तक क्रियाशील उपकरण की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति निम्न **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7
चार वन्यजीव अभयारण्यों में उपकरणों की उपलब्धता

क्रम संख्या	*वन्यजीव अभयारण्यों के नाम*	*दूरबीन*		*जी0पी0एस0*		*कैमरा ट्रैप*		*वायरलेस सेट*		*रात्रि दृष्टि उपकरण*	
		अ	*उ*	*अ*	*उ*	*अ*	*उ*	*अ*	*उ*	*अ*	*उ*
1	भीमबांध	6	1	40	20	40	0	अना	0	20	0
2	कैमूर	8	6	16	13	40	19	10	0	6	0
3	राजगीर	अना	0	10	2	2	0	2	0	अना	0
4	वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	24	9	170	52	500	253	45	16	9	8

(अ = अपेक्षित, उ = उपलब्ध और अना = अनाकलित)

(स्रोत : नमूना–जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

किसी भी वन्यजीव अभयारण्यों में सतर्कता और सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं पाया गया।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमंडलीय कार्यालयों ने दूरबीन, वायरलेस सेटों और रात्रि दृष्टि उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। आगे, उपर्युक्त सभी उपकरणों की उपलब्धता, सभी वन्यजीव अभयारण्यों में गश्त एवं शिकार विरोधी मुकाबला के लिए अपर्याप्त थी। उपकरणों की कमी के लिए मुख्य रूप से निधियों की अपर्याप्तता जिम्मेदार थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वर्ष 2015–16 के दौरान शिकार के चार मामले प्रतिवेदित हुए और वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन, अपर्याप्त गश्त और आवश्यक उपकरण जैसे–दूरबीन, वायरलेस सेट इत्यादि के कारण शिकार के बारे में अनभिज्ञ था। इस घटना की जानकारी वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन को तब हुई जब दिल्ली स्थित गैर–सरकारी संगठन[33] द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (जनवरी 2016) को सूचना प्रदान की गई। अभिलेखों की संवीक्षा से आगे उद्घटित हुआ कि व्याघ्र रिजर्व में अप्रशिक्षित दैनिक श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति के सिवाय, वायरलेस नेटवर्क ने रिजर्व के अन्य क्षेत्रों को कवर नहीं किया, जी0पी0एस0 गश्त का अभाव था तथा क्षेत्र कर्मियों को आग्नेयास्त्र प्रदान नहीं किये गये थे। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने भी पाया (मार्च 2016) कि रेंज अधिकारी/प्रमंडल अधिकारी प्रतिदिन के आधार पर गश्त के अनुश्रवण करने में विफल रहे।

---

[32] *उदयपुर और गौतम बुद्ध*

[33] *भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी*

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसाः

- ***विभाग को सभी वन्यजीव अभयारण्यों के लिए पर्याप्त गश्त/शिकार–रोधी शिविर सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी सही ढंग से प्रशिक्षित तथा हथियारों से लैस हो।***
- ***विभाग नई प्रौद्योगिकियों जैसे–थर्मल इमेजिंग कैमरा इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए शिकार विरोधी तंत्र को विकसित करने पर विचार कर सकता है।***

2.11 पक्षी अभयारण्यों का संरक्षण और सुरक्षा

क्षेत्र में पक्षी विविधताओं को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1987 और वर्ष 1997 के बीच राज्य में पाँच पक्षी अभयारण्यों को सृजित किया गया था। यह पक्षी अभयारण्य चार जिलों में 99.57[34] वर्ग कि0मी0 के एक क्षेत्र में फैले है। वर्ष 2012–17 के दौरान विभाग ने इन पक्षी अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए केवल ₹1.51 करोड़ प्रदान किया, जिसके विरूद्ध संबंधित प्रमंडलों द्वारा ₹1.46 करोड़ व्यय किया गया। पक्षी अभयारण्य की सुरक्षा और संरक्षण कार्यों के लिए विभाग द्वारा अग्र पंक्ति के कर्मचारियों का कोई समर्पित पद स्वीकृत नहीं किया गया था। इन अभयारण्यों में पक्षी विविधता के संरक्षण और सुरक्षा में पाई गई कमियाँ (मई–जुलाई 2017) निम्नानुसार थीः

- **वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन और प्रलेखन**

वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन और प्रलेखन की अनुपस्थिति, वृक्षारोपण कार्या की अपर्याप्ता, जल परीक्षण की अनुपस्थिति आदि ने पक्षी अभयारण्यों में संरक्षण उपायों की कमी को इंगित किया।

क्षेत्र में स्थित वनस्पति और जीवों के पर्यवेक्षण का संचालन भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना था, ताकि उचित संरक्षण उपायों को विकसित किया जा सके। यह देखा गया था कि वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन और प्रलेखन, पाँच पक्षी अभयारण्य में से दो[35] में नहीं किया गया था। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रजातियों के पक्षियों (प्रवासी और मूल) और वनस्पतियों एवं जीवों के बारे में कोई सूचना, प्रमंडल कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। आगे देखा गया कि तीन[36] पक्षी अभयारण्य में, जहाँ सूचना उपलब्ध थी, संबंधित प्रमंडलों ने अभयारण्यों के लिए किसी भी संरक्षण कार्यों को कार्यान्वित नहीं किया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति (दिसम्बर 2017) व्यक्त की और क्षेत्र मानवबल की कमी को, वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन और प्रलेखन की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया।

- **पक्षियों का सर्वेक्षण और आकलन**

भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा–निर्देशों के अनुसार, अभयारण्य क्षेत्रों में पक्षियों के आबादी के सर्वेक्षण और आकलन तथा जल गुणवत्ता के विश्लेषण की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि कांवर और कुशेश्वर स्थान अभयारण्यों में पक्षियों का आकलन और जल निकायों के जल गुणवत्ता की जाँच नहीं की गई थी। शेष तीन[37] में, जल गुणवत्ता की जाँच देर से की गई, अर्थात इसकी अधिसूचना के 18 साल से ज्यादा

---

[34] *बरैला झील (वैशाली): 1.98 वर्ग कि0मी0; कांवर झील (बेगूसराय): 63.12 वर्ग कि0मी0; कुशेश्वर स्थान (दरभंगा): 29.22 वर्ग कि0मी0; नागी डैम (जमुई): 1.92 वर्ग कि0मी0 तथा नक्ती डैम (जमुई): 3.33 वर्ग कि0मी0*

[35] *कांवर झील और कुशेश्वर स्थान*

[36] *बरैला झील, नागी डैम और नक्ती डैम*

[37] *नागी डैम, नक्ती डैम (वर्ष 2014–15) तथा बरैला (वर्ष 2015–16)*

व्यतीत हो जाने के बाद। पक्षियों का आकलन और जल गुणवत्ता का विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि विभाग ने प्रमंडलों को निधि प्रदान नहीं किया था।

विभाग ने, जबकि इस प्रकार के विशिष्ट गतिविधियों में क्षेत्र कर्मियों के प्रवीणता एवं क्षमता में कमी को स्वीकारा है, आश्वस्त किया कि पक्षियों की आबादी का आकलन किया जाएगा।

- ***वृक्षारोपण कार्य***

पक्षियों के घोंसला और बसेरा के लिए पौधों की प्रजातियों का संरक्षण अनिवार्य है। वर्ष 2014–15 तक कांवर झील को छोड़कर अन्य किसी भी पक्षी अभयारण्य में कोई वृक्ष नहीं लगाया गया था। यद्यपि, वर्ष 2015–17 की अवधि के दौरान तीन[38] पक्षी अभयारण्यों में 2,350 वृक्ष लगाए गये थे, वे पक्षियों के घोंसला और बसेरा के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके।

विभाग, यह स्वीकार करते हुए कि पक्षी अभयारण्यों के लिए चयनित प्रजातियों के वृक्षारोपण की आवश्यकता थी, ने आश्वासन दिया कि पक्षियों के घोंसला एवं बसेरा के लिए भविष्य में वृक्षारोपण कार्यों को किया जाएगा।

- ***पक्षी अभयारण्य की सुरक्षा***

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच पक्षी अभयारण्यों में से किसी में भी गश्त प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं थी और निधि की अपर्याप्तता एवं संबंधित प्रमंडलों में क्षेत्र कर्मियों की कमी के कारण सर्दियों के मौसम में अप्रशिक्षित आकस्मिक मजूदरों को चौकीदार के रूप में तैनात किया गया था।

- ***अभयारण्य क्षेत्रीय समीपता***

सलीम अली जुब्बा सहनी (बरैला) झील का कुल अधिसूचित क्षेत्र (1.98 वर्ग कि0मी0) 21 गैर–निरंतर भाग में फैले हुए थे और आठ गाँवों से चारों ओर से घिरे हुए थे जिसने वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन को प्रभावित किया। अभयारण्य की क्षेत्रीय समीपता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए विभाग (मार्च 2017) द्वारा किसी भी योजना पर विचार नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि कुछ क्षेत्रों को एक या सर्वोत्तम के रूप में अभयारण्य की सीमा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। हालांकि, विभाग ने मामले के विचाराधीन होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया और तथ्य बनी हुई है कि अधिसूचना के 20 वर्षों के बाद भी अभयारण्य के क्षेत्रीय समीपता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- ***पक्षी अभयारण्यों के लिए भूमि का गैर–अधिग्रहण***

वन्यजीव अभयारण्यों के लिए अधिसूचित भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए समाहर्त्ता[39] प्राधिकृत[40] है। आगे, मुख्य वन्यजीव वार्डन को अभयारण्यों के अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित करना था।

---

[38] *बरैलाः वर्ष 2016–17 में 1,000; नागी डैमः वर्ष 2015–16 में 1,250 और नक्ती डैमः वर्ष 2016–17 में 1,000*

[39] *भूमि–अधिग्रहण के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।*

[40] *वन्यजीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–25*

कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य का संपूर्ण अधिसूचित भूमि अधिसूचना (वर्ष 1994) के बावजूद भी स्थानीय लोगों के स्वामित्व में था।

राज्य में पाँच पक्षी अभयारण्यों में से, यह देखा गया कि दो अभयारण्यों में अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य का संपूर्ण अधिसूचित क्षेत्र (29.22 वर्ग कि0मी0), इसकी अधिसूचना (वर्ष 1994) के बाद से स्थानीय लोगों के स्वामित्व में था क्योंकि विभाग ने अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण (मई 2017) के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। अधिसूचित भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा था क्योंकि इस पर स्थानीय लोगों का स्वामित्व था तथा वनस्पति और जीव के लिए संरक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य में कृषि

इसी प्रकार, कांवर झील पक्षी अभयारण्य में, 63.12 वर्ग कि0मी0 की अधिसूचित (जून 1989) भूमि में से, सिर्फ 6.18 वर्ग कि0मी0 (10 प्रतिशत) विभाग के नियंत्रण में था। आगे देखा गया कि बिहार राज्य वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ भूमि विवादों के गैर–निपटान के कारण अभयारण्य के क्षेत्र को 30 वर्ग कि0मी0 कम करने का फैसला किया था (अप्रैल 2017)।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति (दिसम्बर 2017) व्यक्त की और कहा कि उनके क्षेत्रों और सीमाओं का युक्तिकरण नहीं किया जा सका क्योंकि ये पक्षी अभयारण्य गहन आबादी वाले कृषि भूमि के अंदर स्थित था।

2.11.1 आर्द्रभूमि संरक्षण

राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत, दो प्रकार के कार्य अर्थात, प्रबंधन कार्य योजना और आर्द्रभूमि[41] के संरक्षण तथा न्यायिक उपयोग के लिए शोध परियोजनाओं, इनके आगे की अधोगति को रोकने के लिए कार्यान्वित किये जाने थे। हालांकि, इस कार्यक्रम को एक केन्द्र प्रायोजित योजना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के साथ विलय (जनवरी 2013) कर दिया गया था।

राज्य में पाँच पक्षी अभयारण्यों में से, तीन[42] पक्षी अभयारण्यों को प्रमुख आर्द्रभूमि के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, बरैला झील (वर्ष 2015–16) को छोड़कर वनस्पतियों और जीवों पर कोई शोध गतिविधि नहीं की गई थी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार से ₹16 लाख की प्राप्ति (अगस्त 2012) के बावजूद विभाग (नवम्बर 2017) द्वारा दो आर्द्रभूमियों (कुशेश्वर स्थान और बरैला) का प्रबंधन कार्य योजना तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, आर्द्रभूमि को असाधारण जैविक[43] तथा अजैविक[44] दबाव का सामना करना पड़ा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (दिसम्बर 2017) के तहत राज्य में किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था।

---

[41] आर्द्रभूमि वहाँ पाये जाते है, जहाँ जल तालिका भूमि की सतह पर या उसके पास या जहाँ भूमि जलमग्न होती है।

[42] कांवर झील पक्षी अभयारण्य, बेगूसराय; कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा; और सलीम अली जुब्बा सहनी बरैला पक्षी अभयारण्य, वैशाली।

[43] जैविकः जल का अभियंत्रित विस्तारण और बहाव, घास–फूस संक्रमण इत्यादि, वनस्पतियों और जीवों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते है।

[44] अजैविक : अतिक्रमण के कारण क्षेत्र का संकोचन, मानवजनित दबाव के कारण आवास का विनाश और जैव–विविधता का नुकसान, जलविद्युत हस्तक्षेप के कारण जलवाही स्तर का नुकसान इत्यादि।

अनुशंसाः विभाग को पक्षी अभयारण्य में उचित संरक्षण और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए और क्षेत्रीय सान्निध्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित भूमि का अर्जन या वैकल्पिक रूप से संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय से परामर्श करना चाहिए।

2.12 गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का संरक्षण एवं सुरक्षा

विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को गंगा डॉल्फिन के संरक्षण, वंश–वृद्धि और विकास के लिए अधिसूचित (1991) किया गया था। यह अभयारण्य भागलपुर जिला में गंगा नदी के लगभग 60 कि0मी0 की दूरी तक फैला हुआ है। इसके अलावा, भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया (अक्टूबर 2009)। नवीनतम आकलन प्रतिवेदन (मई 2014) के अनुसार, डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में अधिकतम 127 गंगा डॉल्फिन को देखा गया था। विभाग ने वर्ष 2012–17 के दौरान विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के प्रबंधन के लिए ₹43 लाख उपलब्ध कराया जिसके विरूद्ध सुरक्षा उपायों पर ₹30 लाख खर्च किए गए। विभाग द्वारा अभयारण्य के लिए अग्र पंक्ति के कर्मचारी का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया था और मुख्य वन्यजीव वार्डन, बिहार द्वारा प्रबंधन योजना को भी पूर्ण नहीं किया गया था (जुलाई 2017)।

गंगा डॉल्फिन

प्रबंधन योजना का अभाव तथा अपर्याप्त निधि के कारण गंगा के डॉल्फिन का उचित संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्य योजना (वर्ष 2013) के अनुसार, पाँच प्रमुख गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाना था। इन गतिविधियों के विरूद्ध डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा में कमी देखी गई (जुलाई 2017), जिसे नीचे दिखलाया गया हैः

- ***वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी***

आकस्मिक कारणों की पहचान और सुधारात्मक उपाय करने के लिए विभाग द्वारा डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में नदी डॉल्फिन की मृत्यु दर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया (अक्टूबर 2016), हालांकि कार्य योजना में विचार किया गया था। यद्यपि विभाग ने अभयारण्य पर अध्ययन के संचालन को एक महाविद्यालय के प्रोफेसर[45] को सौंपा (अक्टूबर 2016) था, यह प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त (जुलाई 2017) था। इस प्रकार गंगा नदी पर अभयारण्य क्षेत्र में इस प्रजाति के महत्वपूर्ण हिस्से[46] अज्ञात बने रहे।

- ***शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम***

शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में पारंपरिक मछुआरे समुदायों और अन्य तटवर्ती समुदायों की भागीदारी डॉल्फिन संरक्षण के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अभयारण्य क्षेत्र में कोई शिक्षा और जागरूकता अभियान नहीं चलाया। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी।

---

[45] *₹0.87 लाख की कीमत पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर*

[46] *वह हिस्सा जिसमें लम्बे समय तक जीवित रहने की क्षमता वाले स्वस्थ्य प्रजनन डॉल्फिन आबादी शामिल है।*

- ***नदी पर निर्भर समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा***

मछुआरे समुदाय मुख्य रूप से नदियों से पकड़ी गई मछलियों पर निर्भर है। उनके मछली पकड़ने के कई उपकरण डॉल्फिनों के लिए खतरा है। उनमें से कुछ तेल मत्स्य पालन का अभ्यास करते हैं, जिसमें मछली पकड़ने के लिए चारा के रूप में डॉल्फिन का तेल और मीट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, स्थानीय हितधारकों के लिए आजीविका सुरक्षा के प्रावधान डॉल्फिन संरक्षण के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मछुआरों को वैकल्पिक आजीविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था। कम से कम 12[47] डॉल्फिन मित्रों के आवश्यकता के विरूद्ध, डॉल्फिन की देखभाल करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र में केवल आठ डॉल्फिन मित्रों[48] की तैनाती की गई थी। अभयारण्य के (60 कि0मी0) विशाल विस्तार पर विचार करते हुए, इन डॉल्फिन मित्रों की तैनाती डॉल्फिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त थी। वर्ष 2014–17 के दौरान डॉल्फिनों की मृत्यु के छः मामले पाये गए, जिनमें से दो की मृत्यु जल की कमी के कारण हुई थी।

- ***संरक्षित क्षेत्रों का सृजन/विस्तार***

गंगा डॉल्फिन 100 कि0मी0 से अधिक के क्षेत्र में विचरते तथा फैलते है, विशेष रूप से बाढ़ के दौरान। अन्य मौसम में भी, ये विचरण करते है तथा फैलते है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो लगभग 60 कि0मी0 का केवल एक संरक्षित क्षेत्र है, इस प्रकार, डॉल्फिन अभयारण्य की लंबाई के विस्तार किये जाने की आवश्यकता थी, जैसा कि बिहार सरकार ने अपनी कार्य योजना में परिकल्पित किया। यद्यपि विभाग द्वारा आज तक (जुलाई 2017) इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया था।

- ***डॉल्फिन और इनके आवास की सुरक्षा***

विभाग ने मछली पालन को सतत बनाने और डॉल्फिन तथा अन्य जलीय वन्यजीव के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार कोई मत्स्य प्रबंधन योजना तैयार नहीं किया था। लाभार्थी सर्वेक्षण/बातचीत के दौरान, स्थानीय मछुआरों ने सूचित किया कि क्षेत्र से बाहर के मछुआरों ने अभयारण्य क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए मच्छर–जाल का इस्तेमाल किया, जिसने गंगा डॉल्फिन के शिकार आधार को प्रभावित किया। यह दर्शाता है कि विभाग डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने के हानिकारक विधि को रोकने में असमर्थ रहा।

आगे, भारत के जीवजंतु सर्वेक्षण के अनुसार, मछलियों के अस्तित्व के लिए जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, जो गंगा डॉल्फिनों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः, जल गुणवत्ता का परीक्षण और प्रलेखीकरण वार्षिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 1991 में डॉल्फिन अभयारण्य के आरंभ से, अभयारण्य क्षेत्र में गंगा नदी की जल गुणवत्ता का सिर्फ मई 2014 में, प्रबंधन योजना तैयार करते समय, विश्लेषण किया गया था। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, नदी के जल में आर्गेनोक्लोराइन के उच्च स्तर, भारी धातुओं और अन्य जहरीले रसायनों की मौजूदगी, अवसादों, कशेरूकी, मछली और डॉल्फिन के ऊतकों ने डॉल्फिन के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा किया। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थेः

---

[47] *संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित*

[48] *डॉल्फिन मित्र, स्थानीय मछुआरे हैं, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में संविदात्मक आधार पर संलग्न।*

(i) नदी के दोनों किनारों के पास के किसानों द्वारा उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। इन कृषि–रसायनों के अवशेषों का नदी के बहाव में प्रत्यक्ष रूप से फैलने के कारण नदी का रसायनिक प्रदूषण हुआ।

(ii) शहरी बस्तियों से नदी में प्राकृतिक मल का निर्वहन, और

(iii) नदी प्रवाह/गंगा नदी के साथ में ठोस अवशिष्टों को गिराना

विभाग ने डॉल्फिन अभयारण्यों (जुलाई 2017) के खतरों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं किया और कहा (दिसम्बर 2017) कि प्रबंधन योजना के अंतिम रूप देने और अनुमोदन के बाद, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुशंसा: विभाग को गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

2.13 जंगली जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधा

बिहार सरकार ने पशु चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति नहीं दी। 12 वन्यजीव अभयारण्यों में किसी में भी चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था।

जंगली जानवरों के स्वास्थ्य की निगरानी और विभिन्न बीमारियों के उपचार वन्यजीव के अस्तित्व और संरक्षण के लिए अनिवार्य शर्त है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि न तो बिहार सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई, न ही 12 वन्यजीव अभयारण्यों में से किसी में कोई चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया गया। यह दर्शाता है कि वन्य जीवों को बिल्कुल कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। मृत्यु के मामले में, जंगली जानवरों की शवपरीक्षा को निकटतम शहर अस्पताल में तैनात पशु चिकित्सक द्वारा किया गया था।

यह देखा गया कि कुछ अज्ञात बीमारी ने राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के वन्यजीव को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप 23 धब्बेदार मृगों (जून 2013) की मौत कुछ दिनों के अंदर हो गई। अभयारण्य में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी। आगे, शव परीक्षण समय पर नहीं किया जा सका और मृत्यु के कारणों की पहचान नहीं की जा सकी।

विभाग ने स्वीकार (दिसम्बर 2017) किया कि पशु चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी और कहा कि बड़े वन्यजीव अभयारण्यों में पशु चिकित्सक उपलब्ध कराने और पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

2.14 निगरानी और मूल्यांकन

2.14.1 अपर्याप्त निगरानी

बिहार वन नियमावली, वन सेवाओं के सभी अधिकारियों के लिए निगरानी कार्यक्रम अनुसूची[49] निर्धारित करता है और प्रत्येक अधिकारी को, संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निगरानी प्रतिवेदन जमा करना है।

वन्यजीव अभयारण्यों का निरीक्षण/निगरानी प्रतिवेदन किसी भी नमूना–जाँचित प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं था, जिसके अभाव में निगरानी अनुसूची के अनुपालन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

---

[49] *अधिकारियों की निरीक्षण अनुसूची इस प्रकार हैं:*
वन संरक्षक: एक महीना में कम से कम दस दिन, प्रमंडलीय वन पदाधिकारी: (1) नवम्बर से जून–एक महीना में 14 से 15 दिन (2) अन्य महीने में–एक महीना में पाँच से छः दिन, अपर वन संरक्षक: महीना में कम से कम 15 दिन

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि तीन वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व, भीमबांध और कैमूर) के निरीक्षण/निगरानी को उच्चतर अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया गया और अधिकारियों को भविष्य में उचित प्रलेखीकरण को आश्वस्त करने के लिए निर्देश दिया जाएगा।

2.14.2 राज्य वन्यजीव बोर्ड के बैठकों की अपर्याप्तता

वर्ष 2012–17 के दौरान राज्य वन्यजीव बोर्ड की दस बैठकों के आवश्यकता के विरूद्ध, सिर्फ दो बैठकों का आयोजन किया गया।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग–6 के अनुसार, राज्य सरकार, वन्यजीव के सुरक्षा और संरक्षण के लिए नीतियों को तैयार करने में शासन को परामर्श देने के लिए, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के आरंभ की तिथि से छः महीने की अवधि के अंदर एक राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगा।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड को एक वर्ष में कम से कम दो बैठक करना चाहिए। वर्ष 2012–17 की अवधि के दौरान, राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिर्फ दो बैठकों (जनवरी 2013 और जून 2015) का आयोजन किया गया। 27 बैठकों के आवश्यकता के विरूद्ध सिर्फ सात (26 प्रतिशत) बैठकों का आयोजन राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन के समय से किया गया। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठकों की अपर्याप्तता ने वन्यजीव के सुरक्षा और संरक्षण के लिए नीति तैयारी में कमी/अभाव को इंगित किया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने आश्वस्त किया कि राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठकों जैसा कि निर्धारित है, के आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

अनुशंसाः विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा और संरक्षण नीतियों के निर्माण के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड की आवधिक बैठक आयोजित किए जायें।

2.15 निष्कर्ष

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व और अन्य अभयारण्यों के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि यह मानवबल, निधियों के प्रबंधन, संरक्षण के प्रयासों और निगरानी में कमियों से ग्रस्त है। मानवबल के गंभीर कमी ने वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षण और सुरक्षा उपायों को प्रभावित किया।

राज्य में 12 अभयारण्यों में से, नौ अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजनाओं को विभाग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस प्रकार जंगली जानवरों, पक्षियों तथा गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, सुरक्षा एवं संरक्षण तथा स्थल विशिष्ट इनपुट के आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। प्रबंधन योजना के अभाव में, राज्य नौ अभयारण्यों के लिए केन्द्रीय सहायता से वंचित था।

वर्ष 2012–17 के दौरान वन्यजीव अभयारण्यों में जंगली जानवरों (व्याघ्र को छोड़कर) सहित लुप्तप्राय/खतरे के नजदीक प्रजातियों के आबादी का आकलन नहीं किया गया था। विभाग ने वन्यजीव अभयारण्यों में मानवजनित दबाव को कम करने के लिए कोई योजना नहीं बनाया था, इस तथ्य के बावजूद कि गाँव या तो मुख्य क्षेत्र से घिरे थे या मुख्य क्षेत्र में स्थित थे। दो पक्षी अभयारण्यों (कांवर झील और कुशेश्वर स्थान) में विभाग द्वारा अधिसूचित भूमि का अर्जन नहीं किया गया था। पक्षी अभयारण्य और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में किए गए संरक्षण उपाय महत्वहीन थे। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में सुरक्षा उपाय अपर्याप्त थे और चार वन्यजीव अभयारण्यों में पूरी तरह से अनुपस्थित थे।